कार्यालय–मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा।

पत्रांक–2239/22–10, दिनांक, गोण्डा, मई 17/2019

स्थायी आदेश

इस जोन/वृत्त के सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर तथा सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महराजगंज जारी पातन अनुज्ञा एवं अभिवहन परमिट की आड़ में अवैध प्रकाष्ठ के कटान/ढुलान पर प्रभावी नियन्त्रण की दृष्टि से निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किये जाने के निर्देश जारी किये जाते है :–

कटान परमिट :– कटान पर जारी करने की व्यवस्था को सुचारू एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु कृपया निम्नलिखित की अनिवार्यता सुनिश्चित करे :–

1– भूमि के स्वामी मौके पर उपस्थित होकर पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों को चिन्हित कराना अनिवार्य होगा।

2– जॉच अधिकारी द्वारा जॉच करते समय वृक्ष की फोटो लिया जाना, जिसमे सम्पूर्ण वृक्ष जॉच अधिकारी परिलक्षित हो। एक से अधिक वृक्ष की कटान परमिट हेतु वृक्षो की संख्या के बराबर फोटो उपलब्ध कराया जाएगा जिसमे पातन हेतु प्रत्येक वृक्ष का फोटो होगा। फोटो का साइज न्यूनतम 4 X 6 ईंच होना चाहिए।

3– जांच रिपोर्ट के अलावा प्रत्येक फोटो के पीछे वृक्ष मालिका का नाम/स्थल/गांव का नाम, खसरा नं0/भू–अभिलेख में दर्ज सं0 तथा जी0पी0एस0 रीडिंग तथा मार्किंग नं0 (छाती उंचाई तथा वृक्ष के दूसरी ओर जमीन स्तर पर) वृक्ष की गोलाई तथा नं0 अंकित हो।

4– कटान हेतु प्रत्येक वृक्ष का जिओ टैगिंग अनिवार्य रूप से कर लिया जाय।

5– जिस स्थल से वृक्ष काटा/काटे जाने है, उसकी राजस्व विभाग/भू–अभिलेख के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित खसरा, खतौनी की प्रति लगाया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन पेड़ो हेतु कटान परमिट मांगा जा रहा है उस प्रजाति के वृक्ष वांछित संख्या में खसरा, खतौनी में अवश्य दर्ज हो।

6– महत्वपूर्ण प्रजाति जैसेः– खैर, सूाल (साखू), सागौन तथा शीशम की कटान वन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि एवं ठूंठ मुहर्रिर के समक्ष करायी जाय तथा नामित अधिकारी द्वारा कटान के उपरान्त प्रत्येक बोटें की गोलाई (मध्य घेरा) तथा लम्बाई के विवरण की रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित की जाए। प्रत्येक बोटे पर वृक्ष सं0 एवं बोटा सं0 (उदाहरणार्थ, 65/1, 65/2 आदि) अंकित किया जाये एवं ठूंठ मुहर्रीर द्वारा घन अनिवार्य रूप से लगाया जाय।

ढुलान परमिट :– ढुलान परमिट जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरल, सुचारू एवं पारदर्शी करने हेतु निम्नलिखित का अनिवार्यता सुनिश्चित करें :–

1– बलरामपुर जनपद में खैर, साखू, सागौन तथा जनपद महराजगंज में इन तीनो प्रजातियों के अतिरिक्त शीशम के ढुलान के आवेदन के साथ संशोधित खसरा, खतौनी की राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है जिसमें पातित वृक्षों को कम/घटा दिया गया हो, की प्रति होना अनिवार्य है।

2– प्रत्येक वृक्ष के बूट के फोटो, जिसमें फीते द्वारा नापे जा रहे, गोलाई स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो, का लगाया जाना अनिवार्य होगा। फोटो का साइज न्यूनतम 4 X 6 ईंच होना चाहिए।

3– पातन अनुज्ञा रजिस्टर में सम्बन्धित पातन अनुज्ञा के विरूद्ध जारी किए जा रहे ढुलान अनुज्ञा में उल्लिखित प्रकाष्ठ की अनिवार्य होगा।

1163

4– पातन अनुज्ञा में उल्लिखित बोटों का मिलान ढुलान में प्रस्तावित बोटों से अक्षरशः कर लिया जाय।

5– यह सुनिश्चित करें कि कटान का स्थान एवं ढुलान के स्थान समान हो।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त के अतिरिक्त कटान एवं ढुलान हेतु ''पातन अनुज्ञा एप्प'' में प्राविधानित समस्त अनिवार्यताओं को भी पूर्ण कर लिया जाय।

APCCF(IT)

(सुजॉय बैनर्जी)
मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा।

पत्रांक–2239 –अ/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महराजगंज।
6– सम्बन्धित पत्रावली।
7– गार्डबुक।

(सुजॉय बैनर्जी)
मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा।

APCCF (I.T)
23 MAY 2019